न्यायालय— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितिः— उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>A.B.P. No.- 545/2026</u>
नंदकिशोर मांझी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[दरौंदा थाना कांड संख्या— 17/2026]

<u>आदेश</u>

<u>19.06.2026</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. नंदकिशोर मांझी, 2. आशा देवी, 3. सुमन देवी, 4. राम उदित मांझी एवं 5. रोहित कुमार मांझी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या— 545/2026, दरौंदा थाना कांड संख्या— 17/2026, अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा—126(2), 115(2), 117(2), 109/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णदेव यादव एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 14.01.2026 को समय करीब 09:00 बजे दिन में सूचिका के पति संदीप मांझी को सूचिका के मोहल्ला के ही राम उदित मांझी, सुमन देवी, नंद किशोर मांझी, आशा देवी एवं रोहित कुमार के द्वारा हिस्सा बराबर को लेकर सभी मिलकर मारपीट कर रहे थे तथा बोल रहे थे कि तुम्हे हम लोग हिस्सा नहीं देंगे। तब सूचिका बोली की मारपीट, झगड़ा मत करो। हम अपना हिस्सा न्यायालय से ले लेंगे। इसी बात पर लाठी, डंडा, फट्ठा से सूचिका को घेर कर हत्या करने की नियत से मारने लगे। जिससे सूचिका का कपार फट गया और सूचिका गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गई और वे लोग गिरे हुए अवस्था में भी मार रहे थे। राम उदित मांझी एवं नंद किशोर मांझी धमकी दे रहे थे की हम दोनों तुम्हारे साथ मिलकर बेइज्जत करेंगे और लोगों से भी कराएंगे और तब घर में रखेंगे। इधर तुम्हे किसी कीमत पर घर में नहीं रहने देंगे। जमीन भी नहीं देंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से न ही कोई अग्रिम जमानत आवेदन और न ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना में या इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध इस मामला के अलावा अन्य कोई आपराधिक मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदकगण का नाम इस मामले में पट्टीदारी और भूमि विवाद के कारण जोड़ा गया है। आवेदकगण और सूचिका दोनों आपस में पट्टीदार है और दोनों में भूमि संबंधी विवाद है एवं आवेकगण के खिलाफ लगाया गया आरोप अस्पष्ट एवं सामान्य है। दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गया है जिसकी प्रति जमानत आवेदन के साथ संलग्न है। अतः आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी दरौंदा थाना कांड संख्या—

न्यायालय— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—तृतीय, सिवान
उपस्थितिः— उमेश मणि त्रिपाठी

A.B.P. No.- 545/2026

नंदकिशोर मांझी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

[दरौंदा थाना कांड संख्या— 17 / 2026]

19.06.2026

लगातार

17 / 2026, अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा—126(2), 115(2), 117(2), 109 / 3(5) भारतीय न्याय संहिता में आवेदकगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह—अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पति एवं सूचिका को लाठी, डंडा एवं फट्टा से मारने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के साथ जख्मी / सूचिका के जख्म प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है जिसके अनुसार चिकित्सक ने उसके जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। सुनवाई के कम में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संधि पत्र प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि प्रस्तुत आपराधिक वाद में उभय पक्षों के बीच राजी—खुशी से सुलह हो गया है और सूचिका के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि इस मुकदमा में सभी अभियुक्तगण ने जख्मी / सूचिका से सुलह कर लिया है। कांड दैनिकी के अनुसार आवेदकगण के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदकगण / अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

आवेदकगण / अभियुक्तगण **1. नंदकिशोर मांझी, 2. आशा देवी, 3. सुमन देवी, 4. राम उदित मांझी एवं 5. रोहित कुमार मांझी** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म—समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000 / — रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक—एक जमानतदार आवेदिकागण के निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0 / —

(उमेश मणि त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,

सिवान।

दिनांक 19.06.2026

Date of Order/Judgment	19.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	19.06.2026
Uploading Date	23.06.2026
Uploaded By	RAVI KANT